

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेशा 9 नियम 13 जा. दी. एवं धारा 9 नियम
32 म.प.भू.रा.स. 1959 पुनर्स्थापन

श्रीमान जी,

निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह कि, मृतक प्रेम लाल, नन्दू व रामदास द्वारा आवेदक क्र. 4 व 5 के साथ एक अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसका प्र. क्र. अपील 1461/2 /2008 कमिश्नर सागर सम्भाग के आदेशा दिनांक 28.8.06 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें हम आवेदको द्वारा श्री रामसेवक शर्मा अधिवक्ता को पेश्वी करने हेतु नियुक्त किया था।
2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का मेरे अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा को वगैर सूचना दिये प्रकरण में न्यायालय के बाबू द्वारा एक पक्षीय रूप से आदेशा पत्रिकाए लिखाकर के प्रकरण में दिनांक 4.7.16 को एक पक्षीय आदेशा पत्रिकाए कराया जिसकी जानकारी ग्राम में चर्चा के दौरान मुझे दिनांक 15.6.17 को शाम 7 बजे मिली तब मैंने आवेदक क्र. 1, 2, 4 के मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर अपने अभिभाषक के पास दिनांक 24.6.17 को ग्वालियर राज्ज व मण्डल छेठ मोतीमहल पहुंचा तथा अपने अभिभाषक रामसेवक शर्मा से मिला तथा प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि साहव का स्थानान्तरण हो गया है तथा साहव 1200 प्रकरण आदेशा में सुरक्षित छोड़ गये है। तब मैंने प्रकरण के बाबू से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका प्रकरण न्यायालय धारा समाप्त कर दिया गया है।
- यह कि, आवेदक नन्दू द्वारा यह बात अपने अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा को बताई और कहा कि आप प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये तो मेरे अधिवक्ता ने बताया कि मुझे माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की

I | पुनर्निर्देशनांक | २०१७ | २३२९

२७/७/१७

आचार्य अत्रेयाजीजी - अमरावती -
श्रीमती सुषमा अत्रेयाजी अमरावती,
पुणे प्रमाणिक - १५६१-११०८ मं

आचार्य अत्रेयाजीजी ५-७-१६ मं अत्रेयाजीजी

पुनः. अत्रेयाजीजी अत्रेयाजीजी

अत्रेयाजीजी अत्रेयाजीजी

अत्रेयाजीजी अत्रेयाजीजी

अत्रेयाजीजी

२७/७/१७

अत्रेयाजीजी